न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील नम्बर 68/2018 (जीसीएमएस नम्बर 2018/00144)

1. शम्भूदयाल पुत्र घीस्या जाति खाती (जांगिड) निवासी प्यारीवास तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. कल्ली देवी पुत्री घीस्या पत्नी प्रहलाद जाति जांगिड निवासी सोनड तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. शान्ती देवी पुत्री घीस्या पत्नी प्रहलाद जाति जांगिड निवासी चुडियावास तहसील नांगल नांगलराजावतान जिला दौसा।
3. कमला पुत्री घीस्या पत्नी रामकिशोर जाति जांगिड निवासी गढोली तहसील बस्सी जिला जयपुर।
4. गीता देवी पुत्री घीस्या पत्नि बाबूलाल जाति जांगिड निवासी गढोली तहसील बस्सी जिला जयपुर।
5. सीताराम पुत्र घीस्या जाति खाती (जांगिड) निवासी प्यारीवास तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा।
6. मु0 मूली पत्नि जगदीश जाति खाती (जांगिड) निवासी प्यारीवास तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा। **(नाम हजफ आदेश दिनांक 19.08.2025)**
7. राधाकिशन पुत्र जगदीश जाति खाती (जांगिड) निवासी प्यारीवास तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा।
8. संजय कुमार पुत्र जगदीश जाति खाती (जांगिड) निवासी प्यारीवास तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा।
9. शंकरलाल पुत्र जगदीश जाति खाती (जांगिड) निवासी प्यारीवास तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा।
10. ग्राम पंचायत प्यारीवास तहसील दौसा हाल तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा जरिये सरपंच
11. किशना पुत्री जगदीश पत्नि विमल जाति खाती (जांगिड) निवासी डीडवाना तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) लवाण, जिला दौसा दिनांक 02.05.2018 जो प्रकरण संख्या 14/2015 रिमान्ड नामान्तकरण संख्या 25, 180, 165 ग्राम प्यारीवास के संबंध में पारित किया गया है।

अपील नम्बर 69/2018 (जीसीएमएस नम्बर 2018/00143)

1. शम्भूदयाल पुत्र घीस्या जाति खाती (जांगिड) निवासी प्यारीवास तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. कल्ली देवी पुत्री घीस्या पत्नी प्रहलाद जाति जांगिड निवासी सोनड तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. शान्ती देवी पुत्री घीस्या पत्नी प्रहलाद जाति जांगिड निवासी चुडियावास तहसील नांगल नांगलराजावतान जिला दौसा।
3. कमला पुत्री घीस्या पत्नी रामकिशोर जाति जांगिड निवासी गढोली तहसील बस्सी जिला जयपुर।
4. गीता देवी पुत्री घीस्या पत्नि बाबूलाल जाति जांगिड निवासी गढोली तहसील बस्सी जिला जयपुर।
5. सीताराम पुत्र घीस्या जाति खाती (जांगिड) निवासी प्यारीवास तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा।
6. मु0 मूली पत्नि जगदीश जाति खाती (जांगिड) निवासी प्यारीवास तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा। **(नाम हजफ आदेश दिनांक 19.08.2025)**

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. राधाकिशन पुत्र जगदीश जाति खाती (जांगिड) निवासी प्यारीवास तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा।
8. संजय कुमार पुत्र जगदीश जाति खाती (जांगिड) निवासी प्यारीवास तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा।
9. शंकरलाल पुत्र जगदीश जाति खाती (जांगिड) निवासी प्यारीवास तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा।
10. ग्राम पंचायत प्यारीवास तहसील दौसा हाल तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा जरिये सरपंच
11. किशना पुत्री जगदीश पत्नि विमल जाति खाती (जांगिड) निवासी डीडवाना तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नांगलराजावतान, जिला दौसा दिनांक 11.05.2018 जो नामान्तकरण संख्या 447 ग्राम प्यारीवास पर निर्णय तहसीलदार लवाण दिनांक 02.05.2018 की पालना में पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री प्रदीप कुमार विजय अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्यामबाबू पारीक, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 व 7 से 9 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 10 व 11 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक :– 16.10.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू0अ0) लवाण जिला दौसा के निर्णय दिनांक 02.05.2018 के विरूद्ध एवं तहसीलदार (भू0अ0) लवाण जिला दौसा के निर्णय दिनांक 02.05.2018 की पालना में तहसीलदार नांगलराजावतान जिला दौसा द्वारा नामान्तकरण संख्या 447 ग्राम प्यारीवास दिनांक 11.05.2018 को तस्दीक किया गया के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 22.10.2018 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम प्यारीवास नामान्तकरण संख्या 25, 180, 165 के संदर्भ में अपील संख्या 30/2015, 31/2015, 32/2015 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.07.2015 अनुसार ग्राम प्यारीवास के नामान्तकरण संख्या 25, 180, 165 निरस्त किये जाकर नामान्तकरण पुनः तहसीलदार नांगल राजावतान को वारिसों की जांच कर विधिवत सुनवाई कर निर्णय करने के आदेश प्रदान किये गये। जिस पर तहसीलदार (भू0अ0) लवाण जिला दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.05.2018 द्वारा मृतक घीस्या के विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण संख्या 25, 180, 165 ग्राम प्यारीवास में दर्ज भूमि को घीस्या के स्थान पर विधिक वारिसान कल्ली, शान्ती, कमली, गीता पुत्रियां घीस्या, शम्भूदयाल, सीताराम पिता घीस्या, भुली पत्नि जगदीश, राधाकिशन, संजय, शंकर पि0 जगदीश, किश्ना पुत्री जगदीश जाति खाती निवासी प्यारीवास के नाम दर्ज करने के आदेश एवं वर्णित वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के आदेश पारित किये गये। तहसीलदार (भू0अ0) लवाण जिला दौसा के निर्णय दिनांक 02.05.2018 की पालना में तहसीलदार नांगलराजावतान जिला दौसा द्वारा नामान्तकरण संख्या 447 ग्राम प्यारीवास दिनांक 11.05.2018 को खोला गया। चूंकि उपरोक्त दोनों अपीलों की विषयवस्तु, तथ्य एवं भूमि विवादग्रस्त एक ही होने के कारण उपरोक्त दोनों अपीलों की सुनवाई एक साथ की गई है एवं निर्णय भी एक साथ किया जा रहा है।
3. तहसीलदार (भू0अ0) लवाण, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 02.05.2018 एवं उसकी पालना में तहसीलदार नांगलराजावतान, जिला दौसा द्वारा नामान्तकरण संख्या 447 ग्राम प्यारीवास दिनांक 11.05.2018 को खोला गया से व्यथित होकर अपीलान्ट शम्भूदयाल द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं तहसीलदार (भू0अ0) लवाण जिला दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.05.2018 की पालना में तहसीलदार नांगलराजावतान जिला दौसा द्वारा नामान्तकरण संख्या 447 ग्राम प्यारीवास दिनांक 11.05.2018 को खोला गया को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट नंबर 01 लगायत 4 ने अपीलान्ट व रेस्पो० नंबर 5 लगायत 10 के खिलाफ नामान्तकरण संख्या 165 ग्राम प्यारीवास पर ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2004 के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की इसी प्रकार एक दूसरी अपील नामान्तकरण संख्या 180 ग्राम प्यारीवास पर ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा पारित आदेश के खिलाफ प्रस्तुत की इसी प्रकार एक तीसरी अपील नामान्तकरण संख्या 25 ग्राम प्यारीवास पर ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.06.90 के विरुद्ध प्रस्तुत की। उक्त तीनों अपीलें रेस्पो० नम्बर 1 लगायत 4 ने ग्राम पंचायत प्यारीवास में पक्षकार नहीं होने के बावजूद भी बिना इजाजत लिये बिना व मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की साथ ही उक्त नामान्तकरणों में वर्णित ग्राम प्यारीवास में स्थित भूमि बाबत दावा विभाजन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री हो जाने एवं डिक्री की रेस्पो० नम्बर 5 लगायत 9 द्वारा भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के यहां पेश अपील विचाराधीन होने व उक्त अपील में रेस्पो० नंबर 1 लगायत 4 द्वारा पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश कर देने व पक्षकार दिनांक 27.07.2012 को बन जाने के बाद व अपील विचाराधीन होने के बाद उक्त नामान्तकरण के खिलाफ मियाद बाहर अपीलें प्रस्तुत की उक्त तीनों अपीलें नांगलराजावतान उपखण्ड अधिकारी की कोर्ट अलग से स्थापित हो जाने के कारण उक्त तीनां अपीलें उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान को स्थानान्तरित हो गई और उपखण्ड अधिकारी नागलराजावतान के यहां चल रही थी। उपखण्ड अधिकारी नागलराजावतान ने उक्त नामान्तकरणों में वर्णित भूमि बाबत दावे कि डिक्री की अपील विचाराधीन होने उक्त अपील में रेस्पो० नंबर 1 लगा. 4 पक्षकार होने के बावजूद भी तथा रेस्पो० नंबर 1 लगा 4 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान के समक्ष अपील पेश करने की इजाजत न लेने अपील उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान के समक्ष स्पष्टतः मियाद बाहर होने के बावजूद भी बिना अपीलान्ट को समूचित सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना लोक अदालत कैम्प में राजीनामा नहीं होने की वजह से राजीनामा नहीं होने की कहकर तारीख देने की कहकर उपस्थिति बाबत अपीलान्ट के हस्ताक्षर कराकर और तारीख पेशी न्यायालय में जानकारी करने की कहकर अपीलान्ट को हस्ताक्षर कराकर भेज दिया और पीठ पीछे से उक्त तीनों अपीलों का फैसला करके और अपील मंजूर करके तथा दिनांक 22.07.2015 को रेस्पो० नंबर 1 लगा. 4 के या उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने के बावजूद भी रेस्पो० सीताराम संजय से मिलीभगत करके नामान्तकरणों को रिमाण्ड करने का फैसला लिख दिया। कानूनन लोक अदालत में राजस्थान सरकार की मंशा अनुसार मात्र उन्ही प्रकरणों का निर्णय किया जा सकता था जिनमे राजीनामा हुआ हो मैरिटस पर निस्तारण नहीं किया जा सकता था किन्तु फिर भी लोक अदालत में मैरिटस पर निस्तारण कर दिया। माननीय राजस्व मंडल ने अपने निर्णय आर आर टी 2024 (1) पेज 267 व 225 पर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि लोक अदालत में मैरिटस पर निस्तारण नहीं किया जा सकता है। उक्त तीनों अपीलो के रिमान्ड की पालना में पत्रावली तहसीलदार नांगलराजावतान के समक्ष चल रही थी वहाँ से स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त तीनों पत्रावलियों को तहसीलदार लवाण के यहाँ स्थानान्तरण किया गया और उक्त तीनों पत्रावली तहसीलदार लवाण के यहाँ चल रही थी जिसे दिनांक 08.07.2016 की तारीख पेशी तक चलाया जिसके बाद पत्रावली को रोक दिया गया पुनः दिनाक 07.02.2018 को पत्रावली चालू की जिस पर दिनांक 07.03.2018 को अपीलान्ट ने हाजिर आकर तहसीलदार लवाण के यहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और तारीख पेशी दिनांक 15.03.2018 दी गयी। अपीलान्ट ने दिनांक 15.03.2018 को पुनः एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और तहसीलदार लवाण को बताया कि उक्त आदेशों के खिलाफ माननीय राजरव मंडल मे निगरानी पेन्डिंग है और निगरानी की प्रमाणित प्रति पेश किन्तु तहसीलदार जी के द्वारा प्रार्थी की एक नहीं सुनी और स्पष्ट कहा कि निगरानी होगी ना होगी मैं तो निर्णय करूगा तो प्रार्थी ने तहसीलदार लवाण से न्याय की उम्मीद नही होने के कारण स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र की नकल दिनांक 28.03.2018 को प्रस्तुत की । और दिनांक 28.03.2018 को तहसीलदार ने स्पष्ट कहा कि स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के निर्णय व निगरानी मे निर्णय होने के बाद सुनवायी होगी और कोई तारीख पेशी नही

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दी उसके बाद अपीलान्ट की फर्जी तामील करवाकर और अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना कोई बहस सुने बिना दिनांक 02.05.2018 को तहसीलदार लवाण ने निर्णय पारित करके और यह आदेश पारित कर दिया कि मृतक घीस्या के विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण संख्या 25, 180, 165 ग्राम प्यारीवास में दर्ज भूमि को इस न्यायालय के निर्णय अनुसार घीस्या के स्थान पर विधिक वारिसान कल्ली, शान्ती, कमली, गीता पुत्रियां घीस्या, शम्भूदयाल, सीताराम पुत्र घीस्या, भूली पत्नि जगदीश, राधाकिशन, संजय, शंकर पिसरान जगदीश, किशना पुत्री जगदीश जाति खाती निवासी प्यारीवास के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है उक्त सभी वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज कर राजस्व अभिलेख मे दरामद किया जावे और तहसीलदार नांगलराजावतान को निर्णय की प्रति भेजकर लिखे जाने का आदेश दे दिया जिसके आधार पर बिना अपीलान्ट को सुनवयी व सबूत का अवसर दिये बिना तहसीलदार नागलराजावतान ने दिनांक 11.05.2018 को उक्त निर्णय के आधार पर नामान्तकरण संख्या 447 ग्राम प्यारीवास तस्दीक कर दिया जिसकी अपीलान्ट को कतई जानकारी नही थी जानकारी होते ही उक्त अपीले अपीलान्ट ने श्रीमान के समक्ष पेश की। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना कोई बहस सुने बिना मिलीभगत करके उक्त निर्णय पारित किया है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 22.07.2015 एवं श्रीमान के निर्णय दिनांक 30.01.2018 को माननीय राजस्व मंडल ने दिनांक 30.04.2018 को स्टे कर दिया था और उक्त स्थगन आज भी चल रहा है जिसकी सूचना भी रेस्पो0 को थी एवं अपीलान्ट ने भी तहसीलदार लवाण एवं नांगलराजावतान को लिखित में दे दी थी जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद था किन्तु फिर भी रेस्पोडेन्ट ने मिलीभगत से और अधीनस्थ न्यायालय ने मिलीभगत से स्थगन आदेश का उलंघन करके उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। जब किसी भूमि बाबत दावे चल रहे हो और स्थगन हो रहा हो तो अधीनस्थ न्यायालय को नामान्तकरण की कार्यवाही को रोक देना चाहिए था अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समस्त दस्तावेजात प्रस्तुत कर दिये थे जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद थे किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज करके उक्त निर्णय पारित किया है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। तहसीलदार ने नांमान्तकरण संख्या 25, 180, 165 पर तो कोई निर्णय पारित नही किया कानूनन उक्त तीनों नामान्तकरण पर निर्णय पारित करना चाहिए था उक्त तीनों नामान्तकरण के संबध में किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय को तीनों नामान्तकरण रिमान्ड किये गये थें। और भिन्न आदेश यह पारित कर दिया कि उक्त तीनों नामान्तकरणों मे दर्ज भूमि का नामान्तकरण घीस्या के स्थान पर उसके वारिसान के नाम खोला जावे जो कि कानूनन गलत है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय अपीलान्ट को जिरह का अवसर दिये बिना व अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के बारे में अपने निर्णय में कोई हवाला दिये बिना उक्त निर्णय पारित किया गया है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय आर आर टी 2024 (1) पेज 337 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है प्रतिवादी को अपना केस सिद्ध करने के लिये उचित अर्पोचनिटी देनी चाहिए किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुनवायी किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भू अभिलेख लवाण दिनांक 02.05.2018 एवं उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार नांगलराजावतान द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 447 ग्राम प्यारीवास दिनांक 11.05.2018 की अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी क्योंकि उक्त निर्णय अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना व अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना पारित किया गया है इसलिये अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नहीं थी सर्वप्रथम दिनाक 27.09.2018 को कल्ली द्वारा अपने हक में नामान्तकरण खुलने की धमकी देने पर अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से उक्त नामान्तकरणों मे विवादित जमीन की जमाबंदी की नकल ली तो उक्त नकलों में नामान्तकरण संख्या 447 निर्णय दिनांक 11.05.2018 के आधार पर अपीलान्ट के स्थान पर कल्ली, शान्ती, कमली, गीता पुत्रियां घीस्या शंभूदयाल, सीताराम पुत्रान घीस्या, भूली पत्नि जगदीश, राधाकिशन, संजय, शंकर पिसरान जगदीश किशना पुत्री जगदीश जाति खाती निवासी प्यारीवास शंभूदयाल पुत्र घीस्या का इन्द्राज की जानकारी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

हुई तथा उक्त जमाबंदी पर माननीय राजस्व मंडल के स्थगन का नोट भी मिला तब अपीलान्ट ने पटवारी से पूछा कि उक्त नामान्तकरण संख्या 447 का नोट कैसे लगा तो पटवारी ने बताया कि तहसीलदार लवाण ने दिनांक 02.05.2018 को निर्णय किया और उक्त निर्णय के आधार पर तहसीलदार नांगलराजावतान ने नामान्तकरण संख्या 447 दिनांक 11.05.2018 को तस्दीक किया है तब अपीलान्ट को उक्त तहसीलदार लवाण के निर्णय दिनाक 02.05.2018 एवं तहसीलदार नांगलराजावतान के नामान्तकरण संख्या 447 पर पारित निर्णय दिनांक 11.05.2018 के संबध में जानकारी हुई तब अपीलान्ट ने दिनांक 27.09.2018 को ही उक्त निर्णय दिनांक 02.05.2018 एवं नामान्तकरण संख्या 447 दिनांक 11.05.2018 ग्राम प्यारीवास की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश करवाया जिस पर नकलें तैयार होकर दिनांक 09.10.2018 को दी तब अपीलान्ट को सर्वप्रथम उक्त निर्णय व नामान्तकरण की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त निर्णय व नामान्तकरण की कतई जानकारी नही थी उसके बाद दिनांक 10.10.2018 का अवकाश होने के कारण दिनांक 11.10.2018 को वकील नियुक्त करके और वकील नियुक्त करने के बाद ज्यादातर अवकाश होने के कारण आज अपील तैयार करवाकर जानकारी से अन्दर मयाद पेश है उक्त आदेश अवैध अमान्य व प्रभावशून्य व स्थगन होने के बाद पारित किया गया आदेश है और ऐसे आदेशों की अपील करने की कोई मयाद नही होती है माननीय राजस्व मंडल ने अपने निर्णय आर आर टी 2023 (2) पेंज 1241 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि order pass is void ab intio can be chalange at any time. अतः निवेदन है कि उक्त अपीले स्वीकार फरमाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय तहसील भू अभिलेख लवाण को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 व 7 से 9 के अधिवक्ता ने दौरानें बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) लवाण जिला दौसा के निर्णय दिनांक 02.05.2018 की पालना में तहसीलदार नांगलराजावतान जिला दौसा द्वारा नामान्तकरण संख्या 447 ग्राम प्यारीवास दिनांक 11.05.2018 खोला गया है, जो विधिक प्रावधानों के अनुसार ही पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन कर प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को तहसीलदार (भू0अ0) लवाण जिला दौसा के निर्णय दिनांक 02.05.2018 की पालना में तहसीलदार नांगलराजावतान जिला दौसा द्वारा नामान्तकरण संख्या 447 ग्राम प्यारीवास दिनांक 11.05.2018 खोला गया की जानकारी दिनांक 27.09.2018 को होते ही दिनांक 27.09.2018 को नकल प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मुख्यतः विवाद मृतक खातेदार घीस्या व घीस्या की विधवा मु. गुलाब एवं घीस्या के पुत्र जगदीश की विरासत के ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक तीनों नामान्तरकरणों के संबंध में है। विवादित भूमि के खातेदार अपीलान्ट शम्भूदयाल व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 कल्ली देवी, शांती देवी, कमला, गीता, सीताराम के पिता, रेस्पोडेन्ट संख्या 6 मूली के ससुर, रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 9 राधाकिशन, संजय कुमार एवं शंकर लाल के दादा घीस्या पुत्र रामकुंवार थे जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 25 घीस्या के पुत्र जगदीश, शम्भू, सीताराम व घीस्या की बेवा मु. गुलाब के नाम ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा दिनांक 22.06.1990 को स्वीकार किया गया। इसके पश्चात खातेदार घीस्या की बेवा मु.गुलाब के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 165 जगदीश, शम्भू व सीताराम पि. घीस्या के नाम ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा दिनांक 12.02.2004 को स्वीकार किया गया। इसके पश्चात खातेदार घीस्या के पुत्र जगदीश मूली बेवा जगदीश, राधाकिशन, संजय (बालिग) एवं शंकर (नाबालिग) पुत्रान जगदीश संरक्षक माता मूली हिस्सा 1/3 का स्वीकार किया गया। उक्त तीनों नामांतरकणों के खिलाफ खातेदार घीस्या की पुत्रियां कल्ली वगैरहा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वारा पृथक पृथक तीन अपीलें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा के समक्ष दिनांक 14.2.2013 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक 22.07.2015 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 25 दिनांक 22.06.1990, नामांतकरण संख्या 180 एवं नामांतकरण संख्या 165 दिनांक 12.02.2004 निरस्त किये जाकर प्रकरण मृतक घीस्या पुत्र रामकंवार के विधिक वारिसों की जॉच की जाकर उभयपक्षों को सुना जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित कर पुनः नामांतकरण तस्दीक करने हेतु तहसीलदार नांगल राजावतान को रिमाण्ड किया गया है। पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के संबंध में दावा निर्णित होकर डिक्री होने के बाद उसके खिलाफ अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलान्ट शम्भूदयाल द्वारा उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा दिनांक 22.07.2015 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 20/2016, 21/2016 एवं 22/2016 उनवानी शम्भू दयाल बनाम कल्ली देवी वगैरह प्रस्तुत की गयी थी। जिसे न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 30.01.2018 द्वारा तीनों अपीलों को खारिज की गयी है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.07.2015 अनुसार ग्राम प्यारीवास के नामान्तकरण संख्या 25, 180, 165 निरस्त किये जाकर नामान्तकरण पुनः तहसीलदार नांगल राजावतान को वारिसों की जांच कर विधिवत सुनवाई कर निर्णय करने के आदेश प्रदान किये गये। तहसीलदार (भू0अ0) लवाण जिला दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.05.2018 द्वारा मृतक घीस्या के विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण संख्या 25, 180, 165 ग्राम प्यारीवास में दर्ज भूमि को घीस्या के स्थान पर विधिक वारिसान कल्ली, शान्ती, कमली, गीता पुत्रियां घीस्या, शम्भूदयाल, सीताराम पिता घीस्या, भुली पत्नि जगदीश, राधाकिशन, संजय, शंकर पि0 जगदीश, किशना पुत्री जगदीश जाति खाती निवासी प्यारीवास के नाम दर्ज करने के आदेश एवं वर्णित वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के आदेश पारित किये गये। तहसीलदार (भू0अ0) लवाण जिला दौसा के निर्णय दिनांक 02.05.2018 की पालना में तहसीलदार नांगलराजावतान जिला दौसा द्वारा नामान्तकरण संख्या 447 ग्राम प्यारीवास दिनांक 11.05.2018 को खोला गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में उचित एवं विधिसम्यक होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप दोनों अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) लवाण जिला दौसा के निर्णय दिनांक 02.05.2018 एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) लवाण जिला दौसा 02.05.2018 की पालना में तहसीलदार नांगलराजावतान जिला दौसा द्वारा नामान्तकरण संख्या 447 ग्राम प्यारीवास दिनांक 11.05.2018 को खोला गया है को यथावत रखा जाता है।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) लवाण जिला दौसा के निर्णय दिनांक 02.05.2018 एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) लवाण जिला दौसा 02.05.2018 की पालना में तहसीलदार नांगलराजावतान जिला दौसा द्वारा नामान्तकरण संख्या 447 ग्राम प्यारीवास दिनांक 11.05.2018 को खोला गया है को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर